


आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/

०१ /वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०  
(जीएसटी अनुभाग)  
लखनऊ: दिनांक: 21, नवम्बर, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ०प्र० अधि० 1 सन 2017) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा, मैं कमिश्नर, किसी सम्मिश्रण पूर्तिकार द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली के नियम, 2017 के नियम 62 सपठित उ०प्र० अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई से सितम्बर, 2017 की तिम्ही के लिये विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार 24 दिसम्बर, 2017 तक करता हूँ।



(मुकेश कुमार मेश्राम)  
कमिश्नर वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश ।